

प्र० ९

[देखिए नियम 31(1)]

पोलिंग एजेंट की नियुक्ति

मैं, पुत्र श्री समिति की सदस्यता के निर्वाचन में का उम्मीदवार, इसके द्वारा, दिनांक को मतदान के लिए नियत स्थान पर मतदान केन्द्र संख्या में हाजिर होने के लिए पोलिंग एजेंट के रूप में (नाम तथा पता) श्री को नियुक्त करता हूँ।

स्थान :

दिनांक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं, पुत्र श्री के ऐसे पोलिंग एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

पोलिंग एजेंट की घोषणा पीठासीन अधिकारी के सम्मुख हस्ताक्षरित की जानी है।

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त निर्वाचन में, मैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 (2014 का 22) तथा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (वार्ड परिसीमन तथा निर्वाचन) नियम, 2023 द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा जोकि मैंने पढ़ ली है/मुझे समझा दी गई है।

दिनांक :

पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर

मेरे सम्मुख हस्ताक्षरित

पीठासीन अधिकारी

दिनांक :